किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ- 226003
कुलसचिव कार्यालय

फोनः 91-0522-2258365 फैक्सः 91-0522-2257539 वेबसाईटः www.kgmcindia.edu.

पत्रांक संख्या...737.../ जी0ए0 एवं सम्पत्ति अनुभाग /2023 दिनांक 13/06/23

संशोधित कार्यालय आदेश

मा0 कुलपति जी द्वारा निर्गत निर्देश/अनुमोदन के कम में कार्यालय आदेश संख्याः 1111/जी0ए0 एवं सम्पत्ति अनुभाग/2021 दिनांक 04.10.2021 के कम में गठित Internal Complaints Committee में आंशिक संशोधन करते हुए डा0 अमिता जैन, विभागाध्यक्ष, माइकोबायोलॉजी विभाग के स्थान पर डा0 मोनिका कोहली, आचार्य, निश्चेतना विभाग, के0जी0एम0यू0 को महिला उत्पीड़न निवारण समिति (Internal Complaints Commitee) का अध्यक्ष (Presiding Officer) नामित किया जाता है। अतः संशोधनोपरान्त Internal Complaints Committee निम्नवत् हैः—

01	Professor Monika Kohli Department of Anesthisia	Presiding Officer
02	Mrs. Usha Awasthi Social Activist 1/112, Vijay Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow	Member (NGO)
03	Prof, Rekha Sachan, Department of Obst. & Gynaecology	Member
04	Prof. Sujata, Department of Obst. & Gynaecology	Member
05	Prof. Mausmi Singh, Depatrment of Forensic Medicine	Member
06	Prof. Chhitiz Srivastava, Proctor	Member-Convenor
07	Prof. Sameer Mishra Faculty In-chatge, Legal Cell	Ex-Officer Member

(रेखा एस चौहान)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्याः— 3050 /जी0ए0 एवं सम्पत्ति अनु0/2023 तद्‌दिनांक
प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अधिष्ठाता, चिकित्सा/दंत संकाय/पैरामेडिकल/नर्सिंग/छात्र कल्याण, केजीएमयू, उप्र, लखनऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, चिकित्सा/दंत संकाय, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक/उप चिकित्सा अधीक्षक, जी0एम0 एण्ड ए0एच0, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
5. कुलानुशासक, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त फैकल्टी इंचार्ज, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
7. सदस्य सचिव, आई0टी0 सेल, के0जी0एम0यू0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को चिकित्सा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, सिविल/विद्युत/यांत्रिक के0जी0एम0यू0 उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त अनुभाग प्रभारी, कुलसचिव कार्यालय के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
10. निजी सचिव, मा0 कुलपति जी।
11. आदेश पत्रावली।

To show to chief Proctor

Meeting c̄ Presiding Officer & committee member
website

(रेखा एस चौहान)
कुलसचिव

King George's. Medical Universi
Uttar Pradesh, Lucknow - 226003
Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplac
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: ..../ICSHWW/2024 **Date:**

कार्यवृत्त बैठक दिनांक–28 व 29 जून 2024 अपरान्ह 02:00 बजे

सहायक प्रोवोस्ट वी.एल. छात्रावास ने अपने कार्यालय पत्र संख्या–146/ वी.एल.एच./2024 दिनांक 22.06.2024 के द्वारा वी.एल. छात्रावास में निवासित छात्राओं ने संयुक्त रूप से छात्रावास में सेवा दे रहे मेस संचालक के कर्मचारी खिलाफ शिकायती पत्र अध्यक्षा, आई.सी.एस.एच.डब्लू.डब्लू को अग्रसारित कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तद्क्रम में समिति के संयोजक द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–122/ आई.सी.एस.एच.डब्लू.डब्लू/2024 दिनांक 25.06.2024 के द्वारा समिति सदस्यों की बैठक दिनांक 27 जून को अपरान्ह 02:00 बजे चीफ प्राक्टर कक्ष में आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव,	– संयोजक
प्रो0 मनीष वाजपेयी,	– सदस्य
प्रो0 सुजाता देव,	– सदस्य
प्रो0 रेखा सचान,	– सदस्य
प्रो0 मौसमी सिंह,	– सदस्य

निम्न सदस्य जो किन्ही कारणवस बैठक में प्रतिभाग नही कर सकें:–

1. डा0 मोनिका कोहली,	–अध्यक्ष
2. श्रीमती उषा अवस्थी,	–सदस्य

समिति सदस्यो द्वारा शिकायती पत्र का अवलोकन किया गया तथा मेस में कार्य करने वाले कर्मचारी व मेस संचालिका से पूछ–ताछ की गयी एवं सुश्री [illegible] एम0बी0बी0एस0 2019 बैच की छात्रा से मौखिक व लिखित बयान लिया गया, जो निम्नवत है:–

ने बताया कि बहुत घबराई व रोती हुई मेरे पास आयी और बताया कि मेस वाले भईया मेरे कमरे के गेट पर खड़े हो कर अपत्तिजनक स्थित में खड़े थे जिसको मैने कमरे में लगे शीशे से देखा और घबरा गई और मेस वाले भईया को गेट से बार–बार बाहर जाने को बोली तब वह बाहर गये।

चुकि मुख्य शिकायतकर्ता अनीशा कुमारी, एम0बी0बी0एस0 2019 बैच 27 जून, को अनुपस्थित थी इसलिए समिति सदस्यों ने अग्रिम बैठक अगले दिन दिनांक 28.06.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे पुनः आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया, समिति के समक्ष उस दिन जिस छात्राओं ने कमरे शिफ्ट किया था उन्हे भी उपस्थित होने हेतु सूचित करने का भी निर्णय लिया गया।

तद्क्रम में समिति सदस्यो की बैठक दिनांक 28.06.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे पुनः आहूत की गयी जिसमें समिति सदस्यों ने उपस्थित समस्त से लिखित व मौखिक बयान लिया गया जो निम्नवत है:–

1. ने बताया कि अपने दोस्त के साथ दिनांक 21.06.2024 को रात्रि लगभग 08:30 बजे अपना समस्त सामान पैक करने लगी थी जब अचानक से मेरी नजर मेरे टेबल पर रखे शीशे पर गयी। शीशे में वह कर्मचारी मेरे पीछे आपत्तिजनक स्थित में खड़ा दिखा मै उसे देख कर घबरा गयी और कमरे के कोने की ओर भागी और उसे कमरे से नीचे जाने को कहा, दो तीन बार कहने के बाद बाहर गया, फिर मै अपने दोस्त के कमरे में गयी और समस्त आपबीती बताई।

King George's. Medical Universi
Uttar Pradesh, Lucknow - 226003
Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplac
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: ..../ICSHWW/2024 **Date:**

2. वर्मा, सुश्री वर्मा, सुश्री गुप्ता, एम0बी0बी0एस0 2019 बैच की छात्राओं ने बताया कि मेस में हमे भी सुरक्षित महसुस नही होता है किन्तु हमारे साथ कोई दुर्धटना घटित नही हुई, मेरी दोस्त अनीशा बहुत सीधी लड़की है।

उक्त समस्त के मौखिक व लिखित बयानो को समिति द्वारा अवलोकित किया गया, कमेटी ने उक्त घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए उसकी घोर निन्दा की गयी। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए समिति सदस्यों द्वारा सर्ववम्मति से निम्नवत संस्तुति की जाती है:–

1. न्यू वी0एल0 छात्रावास में प्रथम तल पर संचालित मेंस जिसमे श्री तैनात था उसकी सेंवाये तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए, उस मेस संचालिका को इस चिकित्सा विश्वविद्यालय से ब्लैक लिस्ट किये जाने की संस्तुति की जाती है।
2. श्री के खिलाफ एफ.आई.आर. पंजीकृत किये जाने के लिए सम्बन्धित द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक, थाना चौक को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।
3. इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के जिस हास्टल में केवल छात्राए निवास करती है उस हास्टल में संचालित मेंस के समस्त कर्मचारी व मेस संचालक महिला ही रखे जाने की संस्तुति की जाती है। इसके अतिरिक्त मुख्य गेट पर तैनात चौकीदार/सुरक्षा गार्ड को छोड़कर समस्त पुरूष कर्मचारियों के स्थान पर महिला कर्मचारी तैनात करने की संस्तुति की जाती है।
4. चिकित्सा विश्वविद्यालय के समस्त छात्रावासो में सुरक्षा के दृष्टिगत आस–पास के एरिया में उचित प्रकाश की व्यवस्था, सुरक्षा गार्ड, सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं आवश्यकतानुसार बैरिकेटिंग लगाने की संस्तुति की जाती है।

प्रो0 रेखा सचान (सदस्य)	प्रो0 सुजाता देव (सदस्य)	प्रो0 मनीष बाजपेयी (सदस्य)	प्रो0 मौसमी सिंह (सदस्य)

प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव
(सदस्य/संयोजक)

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-[illegible]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	[illegible]		पिता का नाम : अज्ञात	1. [illegible]

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादिनी:- सेवा मे श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना [illegible] महोदय, मै [illegible] एम.बी.बी.एस. 2019 बैच इन्टर्न [illegible] आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ । गत दिनांक 21 जून 2024 की रात [illegible] 9.30 के बीच अपना सामान नीचे पहुचाने के लिए मेरे [illegible] VL Girls Hostel के प्रथम तल पर है । हास्टल वालो ने [illegible] अन्दर इस लिए मेरा वाले भइया को प्रथम तल पर [illegible]

N.C.R.B (एन.सी. आर.बी)
I.I.F. I (एकीकृत अन्वेषण फार्म 1)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन)

1. District/Unit (जिला/इकाई): [illegible]
   P.S. (थाना): [illegible]
   FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): [illegible] Year (वर्ष): [illegible]
   Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): [illegible]

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एं))

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एं))
1	भा द स 1860	342
2	भा द स 1860	354(क)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 21/06/2024 Date To (दिनांक तक): 21/06/2024

Time Period (समय अवधि): [illegible] Time From (समय से): 20:30 बजे Time To (समय तक): 21:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 29/06/2024 Time (समय):23:31 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): [illegible] Date & Time (दिनांक और समय): 29/06/2024 23:31 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

सेवा में
श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय,
थाना - चौक

महोदय,

मैं ~~मनीषा कुमारी~~ एम.बी.बी.एस. 2019 बैच इन्टर्न के.जी. एम.यू.
से थाना आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ। गत दिनांक 21/जून
2024 की रात लगभग 8:30 से 9:30 के बीच अपना सामान
नीचे पहुँचाने के लिए मैस वाले भईया बुलाए थे जो कि न्यू
VL Girls Hostel के प्रथम तल पर है। तो हास्टल वालो ने किसी
और को नहीं आने देते अन्दर इसलिए मैस वाले भइया को
प्रथम तल पर कमरा संख्या 30 पर बुलाया था सामान नीचे लेक
जाने पर जब मैं अपना सामान इकट्ठा कर रही थी नीचे ले जाने के
लिए तब मेरी नजर अचानक से टेबल पर रखे शीशे पर गई।
जब मैंने देखा तब मेरे पीछे वो खडा था दरवाजे के अंग अंदर आकर
बाहर जाने का रास्ता बंद किए खडा था उसका पैंट की जीप
खुली हुई थी और उसका लिंग बाहर था और erect था
मैं उसे देखकर घबरा गई व पीछे की तरफ मुडी पर वह
दरवाजे से नहीं हिला मैं कमरे के कोने में भागी और उसे
जबरजस्ती बोला की बाहर जाए इतनी बार कहने पर वह
चला गया और फिर अपनी दोस्त के पास आई ~~Ambika~~ के
पास आई थी। थोडी देर तक वो मेरे साथ बैठी फिर ~~Ambika~~
~~Srivastava~~ मेरे साथ आई

P.T.O.

और कालेज मे म शिकायत की थी K.A. Kumari Anju

उस समय मैं बहुत घबरा गई थी और मुझे समझ नहीं आया क्या करे इसलिए मैंने सामान शिफ्ट करना लिए क्योंकि 10 बजे हास्टल बंद हो जाता है। मैं बहुत डर गई थी घबरा गई थी उसने इसे काम के पैसे भी ले लिए थे मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी मुझे अपने को लेकर हीन भावना आ रही थी मैं तो उस दिन के बाद से सो नहीं पाई ठीक से। वहा आन्टी माँ भी काम करती है उसने मुझे बदनाम करने की कोशीश की। मैं पढ नहीं पा रही

अपराधी का नाम - [redacted]
रंग - काला

मेरी मानसीक स्थिती खराब हो रही मेरी पढाई का नुकसान हुआ है कॉलेज से बिल्कुल समर्थन नहीं मिला मैं बहुत डरी हुई है मुझे बहुत डर है कि वो आगे वो मुझे परेशान न करे हानी ना पहुँचाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रथम सुचना रिपोर्ट लिखना दर्ज करे आवशक कार्यवाही करने की कृपा करे।

अंजु

नाम - [redacted]
कॉलेज का नाम - KGMU
मूल पता - हाउस नं. 38
पुष्पांजली वाटिका
सिकंदरा आगरा 282007
मो. संख्या - [redacted]
उम्र - 23

Kumari Anju

लेखक का नाम - [redacted]
पता - KGMU
मूल पता - एन ई रेलवे कालोनी मंडुवाडीह
वाराणसी
मो. संख्या - [redacted]

नीचे ले जाने पर जब मै अपना सामान इकट्ठा कर रही थी नीचे ले जाने के लिए तब मेरी नजर अचानक से टेबल पर रखे शीशे पर गई। तब मैने देखा तब मेरे पीछे वो खड़ा था दरवाजे के अंदर आकर बाहर जाने का रास्ता बंद किए खड़ा था उसका पैट को जीप खुली हुई थी और उसका लिंग बाहर था और erect था मै उसे देखकर खबरा गई व पीछे की तरफ मुडी पर वह दरवाजे से नही हिला मै कमरे के कोने मे भागी और उससे जबरजस्ती बोला की बाहर जाए इतनी बार कहने पर वह चला गया और फिर अपनी दोस्त के पास आई [redacted] के पास आई थी। थोडी देर तक वो मेरे साथ बैठी फिर [redacted] मेरे साथ आई उस समय मैं बहुत घबरा गई थी और मुझे समझ नही आया कया करे इसलिए मैने सामान शिफ्ट करना लिए क्योकि 10 बजे हास्टल बंद हो जाता है। मै बहुत डर गई थी घबरा गई थी उसने इस काम के पैसे भी लिए थे मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी मुझे अपने को लेकर हीन भावना आ रही थी मैं उस दिन के बाद से सो नही पाई ठीक से वहा उसकी मां भी काम करती है उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मै पढ नही प रही अपराधी का नाम-संजय गौण रंग-काला मेरी मानसीक स्थिती खराब हो रही मेरी पढाई का नुकास हुआ है कालेज से बिल्कुल सर्मथन नही मिला मै बहुत डरी हुई है मुझे बहुत डर है कि वो आगे वो मुझे परेशान न करे हानी न पहुचाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे। ह0अंग्रेजी अपठनीय लेखक का नाम- [redacted] पता-KGMU मूलपता- एन ई रेलवे कालेनी मडुवाहडीह वाराणसी मो0 संख्या- 8303964421 ह0अंग्रेजी अपठनीय [redacted] कलेज का नाम- KGMU मूल पता- हाउस न0 38 पुष्पाजली वाटिका सिकदर आगरा 282007 मो0 संख्या-~~7906095591~~ उम्र-23.............................. नोट उक्त तहरीर की नकल/चिक मुझ का0 8527 ऋषभ यादव के द्वारा सीसीटीएनएस की त्रुटि छोड़कर अक्षरशः किता की गयी।

King George's. Medical University
Uttar Pradesh, Lucknow - 226003
Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplace
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: ..../ICSHWW/2024 **Date:**

<u>कार्यवृत्त बैठक दिनांक–02 मार्च 2024 अपरान्ह 03:00 बजे</u>

अधिष्ठाता, नर्सिंग संकाय के कार्यालय पत्र संख्या–552 / एक्स039, दिनांक 22 / 03 / 2024 के द्वारा , पुत्री श्री , छात्रा बी0एस0सी0 नर्सिंग, पंचम सेमेस्टर, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ का शिकायती पत्र दिनांक 22.03.2024 संलग्न करते हुए चीफ प्रॉक्टर को प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु संदर्भित किया गया था।

उपरोक्त शिकायती पत्र में अंकित प्रकरण की जॉच किये जाने हेतु चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या–161 / प्रा0 / 2024 दिनांक 29.03.2024 के द्वारा 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसकी बैठक डा0 रीमा कुमारी, एडिशनल प्रॉक्टर की अध्यक्षता में दिनांक 01 / 04 / 2024 को अपरान्ह 02:00 बजे से चीफ प्राक्टर कक्ष में आहूत की गयी। उक्त बैठक में समिति सदस्यों द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर इस कार्यालय के पत्र संख्या–120 / आई.सी.एस.एच.डब्लू.डब्लू / 2024, दिनांक 02.04.2024 के द्वारा प्रो0 मोनिका कोहली, अध्यक्ष, आई.सी.एस.एच.डब्लू.डब्लू. की अध्यक्षता में पुनः एक बैठक दिनांक 02.04.2024 को आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1. **प्रो0 मोनिका कोहली** **(अध्यक्ष)**
2. **प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव** **(सदस्य / संयोजक)**
3. **प्रो0 मनीष वाजपेयी** **(सदस्य)**
4. **प्रो0 सुजाता देव** **(सदस्य)**
5. **डा0 मौसमी सिंह** **(सदस्य)**
6. **डा0 रेखा सचान** **(सदस्य)**

निम्न सदस्य जो किन्ही कारणवश बैठक में प्रतिभाग नहीं कर पायीं।

1. **श्रीमती उषा अवस्थी** **(सदस्य)**

बैठक में सर्वप्रथम समिति सदस्यों ने अधिष्ठाता, नर्सिंग संकाय के कार्यालय पत्र संख्या–253 / एक्स / 39 दिनांक 17.02.2023 द्वारा बी.एस.सी. नर्सिंग छात्र श्री के विरुद्ध बी.एस.सी. नर्सिंग छात्रा के पूर्व प्रेषित शिकायती पत्र, जिसके क्रम में श्री को दिनांक 20.02.2023 को चीफ प्रॉक्टर कक्ष में बुलाकर पूछताछ की गयी थी। तत्समय श्री ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, का अवलोकन किया, (छायाप्रति संलग्न)

दिनांक 01.04.2024 को आहूत बैठक के समस्त अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया एवं साक्ष्य संकलन हेतु आरोपी, शिकायतकर्ता एवं गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्य एकत्र करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में छात्रों का मौखिक व लिखित बयान लिया गया, जिसमें छात्रा स्मृति मिश्रा ने लिखित रूप से दिये गये अपने

King George's. Medical University
Uttar Pradesh, Lucknow - 226003
Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplace
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: ..../ICSHWW/2024 **Date:**

एक वर्ष से लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तथा छात्रावास से कालेज आने–जाने के दौरान रास्ते में उसका पीछा किया जा रहा है एवं कक्षा में भी उसे लगातार घूरा जाता है, जिससे उसकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है एवं उनके सहपठियों ने भी श्री के खिलाफ एकतरफा आलोचना करते हुए शिकायतें की है। इसके अतिरिक्त श्री द्वारा दिनांक 26.12.2023 को सांय 5.20 बजे छात्रा को अपनी व्यक्तिगत ई–मेल आईडी से "Hum sirf aapsey prem krtey h" लिखते हुए ई–मेल प्रेषित किया है, जिसका प्रिंटआउट छात्रा के द्वारा साक्ष्यस्वरूप अपने शिकायती पत्र के साथ संलग्न किया गया है। इस सम्बन्ध में श्री द्वारा दिनांक 02.04.2024 को लिखित रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त समस्त बयानों व कथनों से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण एक अति गम्भीर एवं संगीन प्रकृति का है, जिसके आधार पर समिति सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपारन्त श्री के पिताजी को समस्त प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु दिनांक 03.04.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे से आहूत बैठक में समिति के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।

तद्क्रम में पुनः दिनांक 03.04.2024 को प्रो0 मोनिका कोहली, अध्यक्ष, आई.सी.एस.एच. डब्लू.डब्लू की अध्यक्षता में समिति सदस्यों की बैठक आहूत की गयी जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण से श्री के पिताजी को अवगत कराया गया तत्पश्चात् उनके पिताजी द्वारा अपने पुत्र के इस कृत्य पर अफसोस जाहिर करते हुए चिन्ता व्यक्त की गयी। किन्तु श्री का कृत्य अत्यन्त संगीन एवं महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित है, जिसके दृष्टिगत समिति सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है:–

1. श्री को उनके पाठ्यक्रम से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया जाय।
2. श्री को उनकी उक्त निष्कासन अवधि के दौरान चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में उनके प्रवेश पर पूर्ण रूप प्रतिबन्ध लगाया जाये।

डा0 रेखा सचान (सदस्य)

प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव (सदस्य/संयोजक)

प्रो0 सुजाता (सदस्य)

प्रो0 मनीष वाजपेयी (सदस्य)

प्रो0 मौसमी सिंह (सदस्य)

प्रो0 मोनिका कोहली (अध्यक्ष)

To,

the Principal
college of Nursing
KGMU,

KGMU College of Nursing King George's Medical University U.P. Lucknow
No. 292/x
Date 22/03/2

Date - 22/03/24

Subject - Complaint regarding ~~the~~ misbehaviour by one of my batchmate

Respected Ma'am,

I am — , student of B.Sc Nursing ~~Vth~~ semester, college of Nursing King George's medical university.

Ma'am I want ~~to get~~ make you aware about misbehaviour conducted by one of my batchmate he is ~~being~~ mentally harrasing me since the last year that is since february 2023.

After complaining to the college in written, there was no improvement in his behaviour. He kept stalking me from college to hostle also in college itself. He ~~keep~~ called me ~~and~~ on my phone many times.

After complaining ~~to~~ the application was forwarded to the proctour office and he got warning not to repeat this behaviour.

After few months he repeated the same behaviour and started stalking me, calling me, and started e-mailing me since he was blocked on other platform. (November and December month)

~~My Parents tried~~ told m

After few months he again started the same behaviour he kept stalking me and keep staring me

in classroom.

This behaviour mentally harassing me and affecting my studies.

Kindly take actions regarding this matter immediately.

Thanking you

Your Obediently

[signature] 22/03/24.

B.Sc (N) Vth semester

KGMU, college of Nursing

Father's Name -

Contact Detail -

Forwarded to Dean, Faculty of Nursing

[signature] 22/03/2024

PRINCIPAL
College of Nursing
King George's Medical University
Lucknow

for Chief

Forwarded to the Proctor

[signature] 22/03/2024

Dean
Faculty of Nursing
King George's Medical University
U.P. Lucknow

King George's. Medical University
Uttar Pradesh, Lucknow - 226003
Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplace
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: ..../ICSHWW/2023 Date:

कार्यवृत्त बैठक दिनांक–25/10/2023 पूर्वाहन 11:00 बजे एवं

कार्यवृत्त बैठक दिनांक–04/11/2023 पूर्वाहन 12:00 बजे

कार्यवृत्त दिनांक–23/10/2023 के कम में दिनांक–25/10/2023 को अपरान्हः 02:00 बजे चीफ प्राक्टर कक्ष में बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1. प्रो0 मोनिका कोहली (अध्यक्ष)
2. प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव (सदस्य/संयोजक)
3. प्रो0 मनीष वाजपेयी (सदस्य)
4. प्रो0 रेखा सचान (सदस्य)
5. प्रो0 सुजाता देव (सदस्य)
6. डा0 मौसमी सिंह (सदस्य)

निम्नलिखित सदस्य जो किन्ही कारणवश बैठक में प्रतिभाग नहीं कर पायें।

1. श्रीमती उषा अवस्थी (सदस्य)

समिति सदस्यों द्वारा पुनः [illegible] (रेजीडेंट चिकित्सक) से पूछताछ की गयी जिसपर [illegible] ने बताया कि डा0 सौरभ ने मुझे अनुचित स्पर्श किया परन्तु अन्य शिकायत जैसे पीठ पर हाथ फेरना, चुटकी काटना इत्यादि कृत्य से इनकार किया गया। दिनांक–23/10/2023 को अनुपस्थित नर्सिंग स्टाफ तवस्सुम खान से घटना के बारे में पूछ–ताछ की गयी तो उनके द्वारा घटना से अनभिज्ञता जाहिर की गयी।

सम्पूर्ण प्रकरण में सम्मिलित रेजीडेन्ट चिकित्सकों, विभाग के स्टाफ एवं अन्य संकाय सदस्यों द्वारा दिये गये लिखित व मौखिक बयानों का समिति द्वारा गहन अवलोकन एवं विचार–विमर्श किया गया। अतः कमेटी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि [illegible] को विभागाध्यक्ष, रेडियोडाग्नोसिस विभाग के माध्यम से यह निर्देशित किया जाय कि "अपने कार्यस्थल पर महिला रेजीडेन्ट चिकित्सकों से उचित दूरी व उनके प्रति विनम्र आचरण रखने तथा मर्यादित भाषा का प्रयोग कियां जाये, जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके।

इसके अतिरिक्त कमेटी का यह भी सुझाव है कि शिक्षक एवं रेजीडेन्ट चिकित्सकों का रिश्ता सम्मानजनक होता है इसलिए रेजीडेन्ट चिकित्सको/छात्रों से अपेक्षित है कि वे अपने गुरूजनो का सम्मान करें एवं शिक्षक भी छात्रो/रेजीडेन्ट चिकित्सको से बात/कार्य लेते वक्त अपने गरिमा व मर्यादा का ध्यान रखें।

डा0 मनीष वाजपेयी (सदस्य) | प्रो0 सुजाता देव (सदस्य) | प्रो0 रेखा सचान (सदस्य) | प्रो0 मौसमी सिंह (सदस्य)

प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव (सदस्य/संयोजक) | प्रो0 मोनिका कोहली (अध्यक्षा)

14/OCT/202

The Vice Chancellor,

King George's Medical University,

Lucknow, Uttar Pradesh

SUBJECT : REGARDING WORKPLACE BASED SEXUAL HARASSMENT PREVAILING IN DEPARTMENT OF RADIODIAGNOSIS, KGMU.

Respected ma'am,

This is to bring to your kind notice that we the residents of Radio diagnosis are facing workplace harassment in the form of physical manhandling, inappropriate touches and verbal abuse by the Assistant Professor – Dr [illegible]. He has been inappropriately touching the female residents in the form of rubbing the backs, touching shoulders, inappropriately handling and touching batches on the chest and rubbing aprons and gowns cleaning his hand with it while grinning. This sort of workplace harassment has continued for years with no change in his behavior whatsoever. The behavior has affected several female residents in the department.

We the residents were afraid and apprehensive of the repercussions of informing such an act of outraging the modesty of female residents, hence, we did not come up with any verbal or written testimony regarding the same till the time the newly joined batch of 2023 also felt the same thing within a couple of days of their joining We have been foolish enough to not come forward regarding this issue earlier but seeing same harassment being met to the newly joined batch breaks the dam of tolerance. Residents posted in department with him leave the workplace crying and mentally traumatized so often. The harassment has become intolerable and calls for immediate action to alleviate the situation for provision of a healthy work environment for us. This manhandling has been experienced by all the female junior and senior residents for the past 2 years which has also led to mental harassment to us. Although few oral complaints have been done in the past regarding the same.

We felt intimidated at such a prestigious institution most of the times in our department because of the recurrent humiliations which we face through him.

Respected ma'am, this is to inform you that we the residents are in constant fear of conveying our plea to you. Hence, the information which is now conveyed is a cumulative of the past 2 years.

We would like you to help us live in a conducive physical and mental environment which is free of intimidation and harassment, because such acts break our very being and force us to leave our hard earned degrees.

We would be highly obliged if you would consider our request and assure us that our plea will be heard and worked upon without any repercussions on our education, degree and experiences.

Thanking you,

Yours Sincerely.

All Junior and Senior Residents

Department of Radiodiagnosis

King George's Medical University

Lucknow, Uttar Pradesh

Chairman Vishakha Committee for urgent enquiry

AN

Vice Chancellor

King George's Medical University

LUCKNOW

King George's. Medical University
Uttar Pradesh, Lucknow - 226003
Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplace
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: ..../ICSHWW/2023 Date:

कार्यवृत्त बैठक दिनांक 14/11/2023 अपरान्ह 02:00 बजे

[illegible], आर्थोडोन्टिक्स विभाग ने अपने गोपनीय पत्र दिनांक 13/09/2023 जो मा0 कुलपति जी को सम्बोधित किया गया है जिसको मा0 कुलपति महोदया द्वारा दिनांक–09/11/2023 को अग्रसारित कर विस्तृत जॉच इन्टरनल कमेटी फार सेक्सुअल हरासमेंट आफ वूमेन ऐट वर्कप्लेस की कमेटी में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उर्पयुक्त के अनुपालन में अंकित प्रकरण की विस्तृत जॉच हेतु चीफ प्राक्टर/सदस्य–संयोजक, इन्टरनल कमेटी फार सेक्सुअल हरासमेंट आफ वूमेन ऐट वर्कप्लेस के कार्यालय पत्र संख्या–105/ICSHWW/2023 दिनांक–14/11/2023 के द्वारा प्रो0 मोनिका कोहली, पीठासीन अधिकारी, इन्टरनल कमेटी फार सेक्सुअल हरासमेंट आफ वूमेन ऐट वर्कप्लेस की अध्यक्षता में दिनांक 14/11/2023 को अपरान्ह 02:00 बजे चीफ प्राक्टर कक्ष में बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. **प्रो0 मोनिका कोहली** **(अध्यक्ष)**
2. प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव (सदस्य/संयोजक)
3. प्रो0 मनीष वाजपेयी (सदस्य)
4. डा0 मौसमी सिंह (सदस्य)

निम्नलिखित सदस्य जो किन्ही कारणवश बैठक में प्रतिभाग नहीं कर पायें।

1. प्रो0 सुजाता देव (सदस्य)
2. प्रो0 रेखा सचान (सदस्य)
3. श्रीमती उषा अवस्थी (सदस्य)

समिति सदस्यों ने डा0 अल्का सिंह से पूछ–ताछ की गयी एवं लिखित बयान लिया गया और बयान की विडियोग्राफी भी कराई गयी, जिसमें उनके द्वारा निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया:–

1) विभागाध्यक्ष द्वारा अन्य की तुलना में मुझसे विभाग में अत्यधिक कार्य लिया जाता है एवं मानसिक रूप से प्रताणित किया जाता है।

2) मेरी शिकायत सेक्सुअल हरासमेंन्ट की नही है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए कमेटी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि उक्त प्रकरण इन्टरनल कमेटी फार सेक्सुअल हरासमेंट आफ वूमेन ऐट वर्कप्लेस की दायरे में नही आता है चूकि यह प्रकरण संकाय सदस्यों के Work Place Harassment से सम्बन्धित है।

अतः उक्त प्रकरण की जॉच किसी अन्य सक्षम कमेटी से कराया जाना उचित होगा।

प्रो0 मोनिका कोहली (अध्यक्षा) | प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव (सदस्य/संयोजक) | प्रो0 मनीष वाजपेयी (सदस्य) | प्रो0 मौसमी सिंह (सदस्य)

8

To,

Vice Chancellor
KGMU,U.P.,
Lucknow
Dated: 13/09/2023

Subject: Regarding the Mental and emotional harassement by Officiating [illegible] in Department of Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics

Hon'able Vice Chancellor Ma'am;

With due respect, [illegible] working in the Department of Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics , Faculty of Dental Sciences, KGMU,U.P., Lucknow want to make you aware of my constant and repeated mental & emotional harassement by my Officiating HOD since January 2023. Respected Ma'am, my Husband [illegible] was a Surgeon and Incharge Trauma Center, Hardoi along with he was Nodal officer of vaccination and Incharge of Covid sample collection booth at Hardoi. During COVID duties at Hardoi he was diagnosed with COVID 19 and was refrered to Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences , Lucknow from Hardoi on 6th April 2021 and I lost him on 15th April, 2021. Due to my changed circumstances and increased responsibilities as a single mother of two minor daughters, I requested my HOD at that time [illegible] sir to reduce some of my workload from the department as I have several departmental responsibilities (list attached), so with the consent of [illegible] he was made Nodal Officer for NAAC work for the Department (letter Attached) instead of me (I was the Nodal Officer for NAAC for around 10 years from its start).

After the retirement of [illegible], on 8th Feb,2022 [illegible] was made Officiating Head not the Permanent HOD because of legal issues (he is facing sexual harrasement ,several criminal cases and false marriage case in the court). After some time he made some advances on me which I avoided and refused for even tea in his room alone. During second half of winter vacation in Jan,2023, when I was the Acting HOD, surprise inspection was conducted by DCI. Despite of Dean's instruction to all Permanent HODs to represent their respective Departments in front of Inspectors he did not represent himself and forced me do everything which I did. He was even forcing me to sign all documents related with inspection in front of office staff and [illegible] which I refused to do as instructed by Dean [illegible]. After that he started harassing me and I am experiencing negative behaviour and constant humiliation by him in the department and feeling targeted.

In July a name of faculty was asked from IQAC to train for NAAC work. Without any discussion with me or other faculty members my Officiating HOD nominated me. I went to his room and told him about all my problems and responsibilities (personal and Official) and also about the changeover of Nodal Officer for NAAC, that I am not the Nodal Officer anymore and I have done all the work for NAAC for 10 years. I ask him to excuse me from further NAAC work. I also told him that my elder daughter is giving 12th board exam in this session so I will be on Child Care Leave, but he refused to listen. After repeated request and arguments , I asked for equal work distribution as I have more responsibilities then other male faculty in the department. He made us to make departmental work distribution list (attached) but did not look at it and sent 3 faculty names instead of one including me but did not inform me or taken

my consent (attached). After that he threatened me to write down comment on my ACR in front of other faculty members. I informed that to Dean Dental Prof. Ranjit Patil sir as he is my reporting officer.

On 22nd August Departmental Board of studies meeting was held, in which I have given my decent along with other faculty members on some issues.

1.) I supported , on some points as our Officiating HOD was withholding her to attend the departmental board of studies meeting repeatdly second time and according to him she was not eligibile but according to rules she is eligible for that (COE confirmed the same).
2.) I objected for withholding MDS final year exam result by Officiating HOD without consulting other faculty members, when other department's results were already declaired.
3.) I also objected for MDS second internal examiner's name (for this session as a female student has accused the same faculty for saying abusive words in front of patients and given written application (attached) to me as I am also incharge for female grievances in the department. I also asked him to write down some female external examinars name in the External Examiners list but he refused.

After that he started humiliating me publically in front of students and employees. Few days back some work for NAAC has to be done by departmental Nodal Officer, so my Officiating HOD again directed that letter to me. At this time I submitted an application (copy attached) addressing him to excuse me from that work and reminded him that I am not the nodal officer anymore and kindly give work to the person who is responsible for that work . After that he speed post that letter (copy attached) to my home. Respected ma'am, I am constantly feeling harassed in the department as I have refused him on some levels and fighting for equality and objecting female harassment not only mine but also of other female faculty and female students. Ma'am currently department's environment is not female friendly as Officiating HOD and one other male faculty is female suppressive mentality. Respected ma'am, I am requesting you to please look into the matter urgently and do the needful. I shall be highly obliged.

Thanking you

Yours Sincerely

Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics
FODS, KGMU UP,
Lucknow
Mob:-[illegible]
Email:dralkasingh14@gmail.com

Dr. Alka Singh
Professor
Orthodontics & Dentofacial
Orthopaedics, FODS, KGMU

Urgent Enquiry
by Vishakha Committee

AN
09/11/2023

Vice Chancellor
King George's Medical University U.P
LUCKNOW

King George's. Medical University
Uttar Pradesh, Lucknow - 226003
Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: ..../ICSHWW/2024 Date:

कार्यवृत्त बैठक दिनांक 31/1/2024 अपरान्ह 3:00 बजे

कार्यवृत्त दिनांक–29/1/2024 के कम में चीफ प्राक्टर/सदस्य–संयोजक, इन्टरनल कमेटी फार सेक्सुअल हरासमेंट आफ वूमेन ऐट वर्कप्लेस के कार्यालय पत्र संख्या–113/ICSHWW/2024 दिनांक 29/1/2024 के द्वारा पुनः दिनांक–31/1/2024 को अपरान्हः 03:00 बजे चीफ प्राक्टर कक्ष में बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. प्रो0 मोनिका कोहली (अध्यक्ष)
2. प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव (सदस्य/संयोजक)
3. प्रो0 मनीष वाजपेयी (सदस्य)
4. प्रो0 रेखा सचान (सदस्य)
5. प्रो0 सुजाता देव (सदस्य)
6. डा0 मौसमी सिंह (सदस्य)

निम्नलिखित सदस्य जो किन्ही कारणवश बैठक में प्रतिभाग नहीं कर पायें।

1. श्रीमती उषा अवस्थी (सदस्य)

उक्त बैठक में समिति के समक्ष , (जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है) पीडियायाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग के अतिरिक्त विभाग में कार्यरत , व महिला कर्मचारी एवं व पुरुष कर्मचारी ने अपना लिखित व मौखिक बयान पृथक–पृथक दिया गया।

पीडियायाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग में कार्यरत 2 महिला कर्मचारियो ने बताया कि हम लोगो को भी परेशान करते है धमकी देते है, मैसेज करते है, अमर्यादित शब्दो का प्रयोग करते है एवं देर रात्रि व्हवाटसप पर फोन करते है।

इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि , वर्ष 2011 से अपने आचरण के कारण विभिन्न विभागो जैसे आर्थोपेडिक, टी0वी0यू0,ट्रामा सर्जरी, ओ0एम0एफ0एस0 एवं पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक विभागो में स्थानातरण किया गया है। तत्कालीन इन्चार्ज टी0वी0यू0 एवं , विभागाध्यक्ष, ओ0एम0एफ0एस0 ने मौखिक रूप से बताया कि का कार्य आचरण अमर्यादित है और इनके खिलाफ कई शिकायते प्राप्त हुई थी जिसकी वजह से विभाग से इनका स्थानातरण करवाना आवश्यक हो गया था।

समिति के समक्ष उपस्थित कर्मचारियों, शिकायतकर्ता एवं जिसके ऊपर आरोप लगाये गये है उनका लिखित व मौखिक बयानों का समिति द्वारा गहन अवलोकन एवं विचार–विमर्श किया गया। जिसके उपरान्त कमेटी समस्यों ने सर्वसम्मति से निम्नवत निर्णय लिया गयाः–

1. , ए0एन0एस0, पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग, का स्थानातरण तत्काल प्रभाव से किसी अन्य विभाग में कर दिये जाने की संस्तुति की जाती है।
2. , ए0एन0एस0, पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग, का 1 वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

Kshitij Drainul Mousami Singh

King George's. Medical Univers
Uttar Pradesh, Lucknow - 226003
Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workpla
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: ..../ICSHWW/2024 **Date:**

3. [illegible], ए0एन0एस0, पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग, को नवीन तैनाती स्थल पर इन्चार्ज / प्रभारी का चार्ज 1 वर्ष तक न दिये जाने एवं कठोर चेतावनी पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति करती है।
4. [illegible], नर्सिंग आफिसर, पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग, को सहकर्मी के साथ कार्य अवधि के उपरान्त रात्रि में नशे की हालत में फोन करने जैसे कृत्य के लिए कठोर चेतावनी पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

डा0 मनीष वाजपेयी **(सदस्य)**	**प्रो0 सुजाता देव** **(सदस्य)**	**प्रो0 रेखा सचान** **(सदस्य)**	**प्रो0 मौसमी सिंह** **(सदस्य)**

प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव
(सदस्य / संयोजक)

प्रो0 मोनिका कोहली
(अध्यक्षा)

Workpla

ad of Department (HOD)
ediatric orthopedics
KGMU, Lucknow (UP)

Date→ 26/01/2024

Subject→ Mental and Sexual Harassment - reg

Respected Sir,

With due most respectfully sir, through this complaint, me (Renuka) currently working in "Pediatric orthopedic Trauma ward" wants to bring in attention that with me mental and sexual harassment going on because of (ANS) who is currently working in "Pediatric Orthopedic Trauma O.T". from last 3-4 months he ( ) has been trying to harass me through various methods under his methodology. Initially he tried touching my shoulder, comes closer and touched my thigh, of which i retaliated with clear words of maintaining distance in office and started to ignore his presence. After this (Mr. Pawan Garg) started to calling and messaging me at late night (Multiple times) of which i have supporting documents, in every conversation and call, i have stated clearly that don't message or call me late at night as this is an unethical and unacceptable behaviour.

I have been ignoring his calls and messages because i stay alone in lucknow and i don't want to create a mess for me here, which comes in the mind of any girl. Now the condition has gone so worse that on 25th January, 2024 late night at 11:30pm once again called at mentioned time. I objected his late messages and then he started calling me again and again on my whatsapp app,

many attempt when i picked his call he ([illegible]) started threatening me with my job and career stating that "He is an ANS (Asssesting Nursing Supprintendent) and i (Renuka) is in probation period so weather its 12A.M or 3AM in night i have to pick his call otherwise if he will give bad reviews in writing that would ruin my career and that will lead towards losing the job (Supporting proof of his words are with me). In addition, he was totally drunk at this call.

After going through a very bad mental trauma due to all the things mentioned above, I have come to your door with folded hands for help. I live here in lucknow alone which affect my security as [illegible] (ANS) has mentioned repeatedly about his high end connections with union and also in the registrar office (KGMU lucknow). I have come with hope that justice will be delivered. Please take necessary action in accordance to the KGMU guidelines.

Note→ All the supporting documents will be submitted to the competent authority when its needed.

Thanking You,

Yours faithfully

26/01/24

NURSING OFFICER (PEDIATRIC ORTHOPEDIC TRAUMA WARD)

COPY TO →

1. Registrar office
2. CMS (KGMC Trauma Center)
3. Women Cell (KGMC)

(16)

King George's. Medical University
Uttar Pradesh, Lucknow - 226003
Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplace
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: ..../ICSHWW/2024 **Date:**

कार्यवृत्त बैठक दिनांक–26 फरवरी 2024 अपरान्ह 03:00 बजे

कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–12148/उ.कु.स./2024 दिनांक–23/02/2024 के अनुपालन में संयोजक/सदस्य प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव के कार्यालय पत्र संख्या–116/आई0सी0एस0एच0डब्लू0डब्लू/2024 दिनांक 26.02.2024 के द्वारा अध्यक्षा आई0सी0एस0एच0डब्लू0डब्लू एवं सदस्यों की बैठक दिनांक 26.02.2024 को अपरान्हः 03:00 बजे चीफ प्राक्टर कक्ष (पी.एच.आई. भवन) में बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

1. **प्रो0 मोनिका कोहली** — (अध्यक्ष)
2. प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव — (सदस्य/संयोजक)
3. प्रो0 मनीष वाजपेयी — (सदस्य)
4. प्रो0 सुजाता देव — (सदस्य)
5. डा0 मौसमी सिंह — (सदस्य)

निम्न सदस्य जो किन्ही कारणवश बैठक में प्रतिभाग नहीं कर पायीं।

1. प्रो0 रेखा सचान — (सदस्य)
2. श्रीमती उषा अवस्थी — (सदस्य)

समिति सदस्यो द्वारा शिकायती पत्र का अवलोकन किया गया एवं साक्ष्य संकलन हेतु सेन्ट्रल लाईबेरी में समस्त कर्मचारियो का बयान एवं उपलब्ध साक्ष्य एकत्र करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा लिए गये निर्णय के कम में लाईब्रेरी के समस्त कर्मचारियों का मौखिक व लिखित बयान लिया गया। जिसमे समस्त कर्मचारियों ने मौखिक व लिखित रूप से बताया कि हमें लाईब्रेरी मे कार्यरत किसी भी कर्मचारी से कोई परेशानी नही है एवं इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नही हुई है, इसके साथ ही शिकायताकर्ता [illegible] (आउटसोर्स कर्मचारी) ने बताया कि यह शिकायत मेरे द्वारा नही की गयी है ना ही इस पर मेरा हस्ताक्षर है।

चुँकि दिसम्बर 2021 में इसी प्रकार की घटना समिति के समक्ष आयी थी जिसमे समस्त कर्मचारियों ने लाईब्रेरी में इस प्रकार की घटना घटित होने से इनकार किया गया। दिसम्बर 2021 की घटना एवं वर्तमान बयानो से समिति को यह महसूस हुआ कि लाईब्रेरी में तैनात कर्मचारियों में आपसी मतभेद के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है।

अतएव समिति संम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत निर्णय पर पहुची हैः–

1. लाईब्रेरी में प्रमुख स्थानो पर सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित किया जाय।
2. इन्चार्ज, लाईब्रेरी, को निर्देशित किया जाये कि लाईब्रेरी मे तैनात गैर आवश्यक कर्मचारी (Non Essential Staff) की विश्वविद्यालय के विभिन्न स्थलो पर Rotation Duty लगायी जाय।

प्रो0 मोनिका कोहली (अध्यक्ष)	प्रो0 क्षितिज श्रीवास्तव (सदस्य/संयोजक)	प्रो0 सुजाता (सदस्य)	प्रो0 मनीष वाजपेयी (सदस्य)	प्रो0 मौसमी सिंह (सदस्य)

सेवा में,

कुलसचिव,

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उ0प्र0,

लखनऊ।

3569
22/2/24

विषयः— केन्द्रीय पुतकालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत महिला सफाई कर्मचारी का यौन शोषण के सम्बन्ध में।

महोदया,

आपको अवगत कराना है कि आपके अधीनस्थ एक केन्द्रीय पुस्तकालय विभाग भी है। केन्द्रीय पुस्तकालय में [illegible] आनरेरी लाईब्रेरियन के अधीन कार्यरत [illegible] लाईब्रेरी अटेन्डेन्ट तथा [illegible] जूनियर असिस्टेन्ट लाईब्रेरी (इंचार्ज सफाई कर्मचारी) द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत महिला सफाई कर्मचारी का विगत कई महीनो से लगातार यौन शोषण किया जा रहा है।

जब भी महिला सफाई कर्मचारी द्वारा विरोध किया जाता है, तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। [illegible] महिला सफाई कर्मचारी से बोलते है, 2000रू0 ले लो और एक रात क मजे मुझे दे दो जिस पर महिला सफाई कर्मचारी का हाथ पकड़कर सम्वेदन शील अंगो को भी चोट पहुचाते है। गंदी भाषा के प्रयोग से परेशान करते है।

[illegible] (संविदा) कोआर्डिनेटर के पद पर है। यह दोनो महिला सफाई कर्मचारी का शारीरिक रूप से शोषण करवाती है। [illegible] साप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाशो में लाईब्रेरी आती है,हस्ताक्षर करके चली जाती है।परन्तु उनको कोई भी अधिकारी नही बोलता है।

महिला सफाई कर्मचारी चल जाए तो उसको धमकी दी जाती है, नौकरी से निकलवा देगें। पुस्तकालय के अन्दर [illegible] कार्यरत महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नही करते है, महिला कर्मचारियो से बोलते है। कि अवकाश के दिन अच्छे से काम करो नही तो वेतन काट दिया जायेगा।

पुस्तकालय के तृतीय तल पर महिला सफाई कर्मचारी को नशीला पदार्थ पिलाकर हबस का शिकार बनाया जाता है, जिसमें की [illegible] करते है। महिला सफाई कर्मचारी डर के मारे कुछ भी बोलती नही है। महिला दो बार गर्भपात भी करवाया है,।

[illegible] का साथ देती है। वह लोग पैसा देते है,महिला कर्मचारी का शोषण करवाने में महिला सफाई कर्मचारियो को कुर्सी पर बैठने से भी मना किया जाता है परमानेन्ट स्टाफ द्वारा उन्हे

– Dr Saumyendra Vikram Singh
– I/c E Section

22/02/2024

put up before Vishakha Committee & report

Mr Ashutosh

23/2/24

मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ना के कारण महिला सफाई कर्मचारी अपनी शिकायत करने से डरती है, जब भी किसी भी प्रकार का विरोध अथवा शिकायत किया जाता है।

आनरेरी लाईब्रेरियन द्वारा उक्त दोषियों का बचाव कर लिया जाता है। अतः आप से अनुरोध है कि समय रहते ही श्री जूनियर असिस्टेन्ट (यौन शोषण करने वाला) एवं लाईब्रेरी अटेन्डेन्ट के विरूद्ध उच्च स्तरीय जॉच करवाकर दोषियों को नौकरी से बर्खास्त करवाने की कृपा करें। जिससे के0जी0एम0यू0 का नाम ख्राब होने से बचें।

धन्यवाद।

प्रतिलिपिः–

1. मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 आपके राज्य में महिला सुरक्षित नही है, महिला के शोषण के विरूद्ध दोषियो केऊपर कार्यवाही कर सजा दिलवाने की कृपा करें।
2. मा0 उप मुख्यमंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0
3. डी0जी0पी0 मुख्यालय उ0प्र0
4. डी0एम0 लखनऊ उ0प्र0
5. चीफ प्राक्टर के0जी0एम0यू0 लखनऊ।

भवदीय

( )

आउटसोर्सिंग कर्मचारी

के0जी0एम0यू0